30.10.25

पत्रावली पेश हुई। वादी। प्रार्थी अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली आज समय से बहस हेतु नियत है किन्तु प्रार्थी अभि॰/अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा आदिनांक तक बहस नहीं की गई। प्रार्थी अभिभाषक ने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के सम्बन्ध किसी प्रकार का निवेदन नहीं किया नहीं अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में कोई विरोध किया। लिहाजा प्रकरण में कार्यवाही जारी रखने का कोई औचित्य नहीं। अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्टेज पर ड्रोप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम [illegible] कर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:34:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिका
गढ़ी, जिला बांसवाड़

Scanned with OKEN Scanner